झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची–834001

ऑनलाइन (Online) आवेदन करने की अंतिम तिथि–15/10/2015

विज्ञापन

विज्ञापन संख्या – 06/2015

(संयुक्त सहायक अभियन्ता सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा)

झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अन्तर्गत **सहायक अभियन्ता (असैनिक) एवं सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)** के पदों पर स्थायी नियुक्ति हेतु विहित अर्हत्ताधारी भारतीय नागरिकों से विहित–प्रपत्र में ऑनलाइन (Online) आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. **रिक्त पदों का विवरणः–**

SL. No.	Services	Name of Post	**Cut off Date (For counting age)**	Total vacan-cies	UNR	ST	SC	BC -I	BC -II	Women reserved seat	Other: Sports/ Ex-Service-man	Handicapped reserved		
												Blind	Dumb/ Deaf	Loco-motive
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
1	पथ निर्माण विभाग	सहायक अभियन्ता (असैनिक)	**01.08.2013**	54	27	27	00	00	00	03	-	01	01	01
2	पथ निर्माण विभाग	सहायक अभियन्ता (असैनिक)	**01.08.2015**	116	93	16	07	00	00	UNR-05 ST-01	UNR-02	01	01	01
3	जल संसाधन विभाग	सहायक अभियन्ता (असैनिक)	**01.08.2013**	146	73	60	04	09	00	UNR-04 ST-03	UNR-01 ST-01	UNR-01 ST-01	UNR-01	ST-01
4	जल संसाधन विभाग	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	**01.08.2013**	40	21	11	05	03	00	UNR-01	-	UNR-01	-	-
5	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	सहायक अभियन्ता (असैनिक)	**01.08.2013**	25	05	04	04	07	05	-	-	-	-	-
6	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	**01.08.2013**	11	08	00	00	02	01	-	-	-	-	-

नोटः– **(क)** कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के अनुसार घट–बढ़ सकती है।
(ख) अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में यथास्थान विभाग की प्राथमिकता क्रमवार संबंधित कोष्ठ में अनिवार्य रूप से दर्ज करें।

2. **वेतनमानः– 9300–34800 ग्रेड पे–5400**

3. **उम्र गणना की सन्दर्भ तिथिः–**

(क)

क्र0सं0	**विभाग**	**cut off date (for counting age)**
i	पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के कुल पद 116 के लिए	**01.08.2015**
ii	पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के कुल पद 54 के लिए	**01.08.2013**
iii	जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के कुल पद 146 एवं 40 के लिए	**01.08.2013**
iv	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत सहायक	**01.08.2013**

	अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के कुल पद 25 एवं 11 के लिए	

(ख) **जन्म तिथि प्रमाण–पत्र के लिये मैट्रिकुलेशन प्रमाण–पत्र/अंक पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगा।**

4. **उम्र सीमा**:– (क) अनारक्षित–न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष।
(ख) अनु0जनजाति एवं अनु0जाति (पुरूष एवं महिला)– न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष।
(ग) पिछड़ा वर्ग (BC-II)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-I) – न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 37 वर्ष।
(घ) महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग (BC-II) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-I)– न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 38 वर्ष।

नोटः–

(i) **झारखण्ड राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो उनको अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 (पांच) वर्षों की छूट दी जायेगी। संविदा पर कार्यरत कर्मियों/दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ देय नहीं है।**

(ii) **विकलांग उम्मीदवार (कम से कम 40% संगत निःशक्तता) को अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 (पांच) वर्षों की छूट दो जायेगी।**

5. शैक्षणिक योग्यता :– **As per recruitment rules 6(d) :-**

(i) Degree in Civil Engineering/Mechanical Engineering from an Indian University or a Diploma in Civil/Mechanical Engineering from an Indian Engineering College. Or,

(ii) Associate Member of the Institution of Engineering, India, or have passed Section 'A' and 'B' of the Associate Membership Examination of the Institution of Engineers (India) or possess as any other educational qualifications recognized by the Institution of Engineers (India) as being equivalent to a pass in Sections 'A' and 'B' of the Associate Membership Examination. Or,

(iii) University Degree or a diploma from a Engineering College of the United Kingdom or Associate Member of the Institution of Civil Engineers/Mechanical Engineering as the case may be.

6. आरक्षण का लाभः–

(क) ऑनलाइन (Online) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। **झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।**

(ग) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवारों को चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार माने जायेंगे। झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-I) तथा पिछड़ा वर्ग (BC-II)** के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से क्रमशः विभागीय पत्रांक–5682 दिनांक 22.10.2008 एवं विभागीय ज्ञापांक–10007 दिनांक 29.08.2012 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–I अथवा प्रपत्र–II में निर्गत प्राधिकार, प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की

तिथि का विवरण ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा **अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अनारक्षित श्रेणी के लिए मान्य होगी**। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(घ) खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक 12.09.2007 द्वारा श्रेणी–II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा।

प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटि अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता	विश्व रिकार्ड

(ड.) विकलांग कोटे के आरक्षण के दावे की स्थिति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प–7281 दिनांक 07.11.2007 के आलोक में केवल ऐसे उम्मीदवार सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो तथा आरक्षण का लाभउठाने हेतु संकल्प की अनुबंध–1 में दिए गए प्रारूप में सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (विहित प्रारूप आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है)।

7. **आवेदन में प्रमाण पत्रों के उल्लेख करते समय यह सावधानी अवश्य बरती जाए कि आवेदन में उल्लेखित प्रमाण पत्रों को ही साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

8. **परीक्षा का स्वरूपः–**

लिखित परीक्षा का विषय :

चयन हेतु आयोग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा। परीक्षा तिथि एवं कार्यक्रम का प्रकाशन समय पर किया जाएगा। परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ दोनों होंगे। परीक्षा 6 (छः) पत्रों की होगी, जिसमें चार पत्र अनिवार्य होंगें एवं दो पत्र वैकल्पिक होंगे।

9. प्रत्येक विषय की परीक्षा अवधि तीन घंटे की होगी, परन्तु दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त समय 20 मिनट प्रति घंटा दिया जायेगा। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को निर्धारित परीक्षा–तिथि के कम से कम तीन दिन पूर्व संबंधित केन्द्राधीक्षक से आवश्यक प्रमाण–पत्र एवं श्रुतिलेखक हेतु उपयुक्त कागजात के साथ सम्पर्क कर सूचित करना अनिवार्य होगा, जिससे वैसे अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा–केन्द्र पर उन्हें श्रुतिलेखक उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उपयुक्त व्यवस्था की जा सके।

10. **(क) अनिवार्य विषय :**

क्र0सं0	पत्र सं0	विषय	परीक्षा की प्रकृति	परीक्षा की अवधि	पूर्णांक	
1	i	सामान्य हिन्दी	वस्तुनिष्ठ	3 घंटे	100	
2	ii	सामान्य अंग्रेजी	वस्तुनिष्ठ	3 घंटे	100	
3	iii	सामान्य अध्ययन	वस्तुनिष्ठ	3 घंटे	100	
4	iv	सामान्य अभियंत्रण विज्ञान	भाग–I वस्तुनिष्ठ	1 घंटे	100	
			भाग–II विषयनिष्ठ	2 घंटे	100	
(क) वैकल्पिक विषय (सहायक अभियन्ता असैनिक के लिए) :						
5	v	सिविल इंजीनियरिंग	भाग–I वस्तुनिष्ठ	1 घंटे	100	
			भाग–II विषयनिष्ठ	2 घंटे	100	200
6	vi	सिविल इंजीनियरिंग	भाग–I वस्तुनिष्ठ	1 घंटे	100	
			भाग–II विषयनिष्ठ	2 घंटे	100	200
(ख) वैकल्पिक विषय (सहायक अभियन्ता यांत्रिक के लिए) :						
5	v	यांत्रिक अभियंत्रण	भाग–I वस्तुनिष्ठ	1 घंटे	100	
			भाग–II विषयनिष्ठ	2 घंटे	100	200
6	vi	यांत्रिक अभियंत्रण	भाग–I वस्तुनिष्ठ	1 घंटे	100	
			भाग–II विषयनिष्ठ	2 घंटे	100	200

(ख) मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) :– पूर्णांक 100

नोटः– लिखित परीक्षा साक्षात्कार सहित कुल 1000 अंक का होगा।

11. परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्तर :–विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के अधिकृत वेबसाईट–www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है एवं परीक्षा का स्तर Civil Engineering (असैनिक अभियन्त्रण), तथा Mechanical Engineering डिग्री स्तर का होगा।

12. **(क)** परीक्षा का न्यूनतम अर्हतांक (कार्मिक पशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0–13026, दिनांक–27.11.2012 के आलोक में।):–

क्र0 सं0	**कोटि**	**न्यूनतम अर्हत्तांक(प्रतिशत में)**
i	सामान्य वर्ग	40%
ii	पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-I	34%
iii	पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-II	36.5%
iv	अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32%

(ख) न्यूनतम अर्हतांक का उपर्युक्त रूप में निर्धारण लिखित परीक्षाओं (वस्तुनिष्ठ/विषयनिष्ठ) पर समान रूप से लागू रहेगा। न्यनूतम अहर्तांक लिखित परीक्षा के कुल अंक के विरूद्ध गणना की जाएगी। मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) के लिए उक्त न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

13. **<u>आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश</u>**

(क) Online आवेदन के समय किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।

(ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट **<u>www.jpsc.gov.in</u>** पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(ग) ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली–भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरे। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्त्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।

(घ) **ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आवेदन कैसे करें, "How to apply" अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – 0651/2213009 पर Online आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।**

(ङ.) **ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :–**

1. 07042294208

2. 07042294209

3. 07042294210

(च) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे।

(छ) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बांए अंगूठे का निशान स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। **निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बांए अंगूठे का निशान नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।**

(ज) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(झ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के प्रमाण–पत्र/अंक पत्र में अंकित है।

(ञ) जन्म तिथि– आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।

(ट) Online आवेदन भरते समय आवेदक की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी :–

उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, तकनीकी डिग्री, मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे। अन्तर्वीक्षा के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(ठ) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(ड) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

14. **परीक्षा शुल्कः–**

(i) सामान्य वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-I) तथा पिछड़ा वर्ग (BC-II) के लिए Online Payment Gatway के द्वारा **400 रू0 परीक्षा शुल्क + Transaction Charge** एवं झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए **100 रू0 परीक्षा शुल्क + Transaction Charge** भुगतेय होगा एवं Offline Payment द्वारा सामान्य वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-I) तथा पिछड़ा वर्ग (BC-II) के लिए **400 रू0 परीक्षा शुल्क + 50 रू0 बैंक चार्ज** तथा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए **100 रू0 परीक्षा शुल्क + 50 रू0 बैंक चार्ज** भुगतेय होगा।

(ii) Offline Payment के लिए Genrated चालान Online Application System में स्वतः उपलब्ध रहेंगे तथा भुगतान निम्न खाते में किया जा सकता है।

बैंक – एस0बी0आई0 लालपुर शाखा, राँची
खाता संख्या – 35231066414
शाखा कोड – 12623
IFSC CODE– SBIN0012623

Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(iii) Online Payment Gatway के लिए Credit Card/ Debit Card/Net Banking/Cash Card/ Wallet के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है।

(iv) विकलांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

(v) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.–**07042294212** पर संपर्क किया जा सकता है।

15. **(i) <u>कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः–</u>**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false and suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
(b) Impersonating, or
(c) Procuring impersonation by any person, or
(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or

(g) Using unfair means during the test, or

(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or

(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or

(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.

(l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:

(i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or

(ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-

(iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate

(ii) <u>कदाचार के लिए कार्यवाही</u> :–

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

16. **अंतिम तिथि** :–

(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक–29.09.2015** सुबह **10:00 बजे** से आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर भरा जा सकेगा।

(ख) सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र Online Application System के माध्यम से **दिनांक–15.10.2015 रात्रि 12.00 बजे** तक ही स्वीकार किये जायेंगे।

(ग) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची।